न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्याः 03/2025 GCMS No.—2025/70

जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. श्री रामू रैगर, निवासी ग्राम धौला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. कजोड पुत्र श्री प्रभात
2. गंगाराम पुत्र श्री प्रभात
3. बाबूलाल पुत्र श्री प्रभात
4. बोदू पुत्र श्री प्रभात
   समस्त ग्राम धौला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन सलाहकार समिति के आवंटन आदेश दिनांक 09.12.1971 को निरस्त करने बाबत खसरा नंबर 123 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, ग्राम धौला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

———————

उपस्थितः–

1. श्री जितेन्द्र कुमार पारीक अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री पंकज कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से।

प्रार्थना पत्र बाबत विधिक आपत्ति

निर्णय दिनांक 12.01.2026

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति (उप जिलाधीश आमेर) के आदेश दिनांक 09.12.1971 जिससे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पिता प्रभात पुत्र नाथ्या, जाति रैगर निवासी ग्राम धौला, तहसील जमवारामगढ को ग्राम धौला स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 123 में से रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा का आवंटन किया से असंतुष्ट होकर दिनांक 30.03.2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। पत्रावली दर्ज कर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा आवंटित आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये । अप्रार्थीगण संख्या–1/1 लगायत 1/4 की ओर से अधिवक्ता श्री पंकज कुमार शर्मा उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या–5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत विधिक आपत्ति पेश किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के संबंध में लिखित बहस प्रस्तुत की गयी। वकील अप्रार्थी की प्रार्थना पत्र विधिक आपत्ति पर बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में वर्णित तथ्यों अनुसार आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम धौला तहसील जमवारामगढ स्थित भूमि में खसरा नंबर 123 में से रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पिता को

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

किया गया जबकि आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थीगण के पिता ने राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत करके खसरा नंबर 123 हाल खसरा नंबर 123/281 रकबा 0.63 है0 का नामान्तकरण खुलवा लिया जबकि मौके पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पिता को 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि ही आवंटित हुई थी। तत्पश्चात आवंटी प्रभात्या ने राजस्व कर्मचारियो से साज व मिलीभगत करते हुए उक्त आराजीयात को अपने नाम खातेदारी में अंकन करवा लिया जबकि उक्त भूमि पर कभी आवंटी व उनके वारिसान का कब्जा नहीं रहा है। इस कारण आवंटी को खातेदारी अधिकार गलत रूप से दिये गये है। विधि अनुसार राज्य सरकार केवल मात्र भूमिहीन व्यक्तियो को ही निःशुल्क भूमि का आवंटन किया जाता है, जबकि प्रभात्या उर्फ प्रभात के पास पूर्व से खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही थी। इसलिए आवंटी प्रभात ने राजस्व कर्मचारियो से साज कर, मिलीभगत कर गलत रूप से भूमि का आवंटन किया गया है इसलिए आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पिता प्रभात्या उर्फ प्रभात के पास उक्त आवंटन से पूर्व से ही कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड चली आ रही थी, जिसके वर्तमान खसरा नंबर 127 रकबा 4.37 हैक्टेयर वाके ग्राम धौला तहसील जमवारामगढ में स्थित है जिसमें प्रभात्या उर्फ प्रभात का हिस्सा 1/2 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण की ओर से यह आपत्ति प्रस्तत की गयी है कि अन्य व्यक्ति को आवंटन निरस्त कराने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई व्यक्ति आवंटन को निरस्त नहीं करवा सकता है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार एवं गांव के निवासी है एवं गलत भूमि के आवंटन को निरस्त करवाने का अधिकार प्रार्थी को प्राप्त है। आवंटी प्रभात्या के देहावसान के उपरान्त अप्रार्थीगण ने विरासत का नामान्तकरण भी खुलवाया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगणो के पूर्वज प्रभात्या उर्फ प्रभात जाति रैगर के हक में दिनांक 09.12.1971 को ग्राम धौला, तहसील जवारामगढ स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 123 में रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा का आवंटन निरस्त फरमाने की कृपा करें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हए कथन किया गया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवादित भूमि का अप्रार्थीगणों के पिता स्व. प्रभात्या के हक में किया गया आवंटन नियमों की पालना करते हुए ही किया गया, इसमें कोई गलती आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नहीं की गई है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण ही कब्जे काश्त करते चले आ रहे है। आवंटन सलाहकार समिति ने आंवटी को सम्पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाकर आवंटन किया तथा आवंटन के समय ही आंवटित कृषि भूमि का कब्जा आंवटी को सुपुर्द कर दिया। अप्रार्थीगण के पिता स्व. प्रभात्या को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे एवं विरासत का नामान्तकरण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के नाम स्वीकार किया गया एवं अप्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद बाहर एवं अप्रार्थीगणो को हैरान परेशान की नियत से पेश किया अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **RRT 383 High court, 2011(2), 2025(2) RRT 901 Board of Revenue Moti vs sundra, RRT 1205 Raj. High court, 2011(2) RBJ1995 page 1080 Raj high court** आदि पेश किये गये।

विद्वान अधिवक्ता पैरोकार सरकार की दलील है कि प्रकरण में आवंटी को नियमानुसार आवंटन किया गया है। प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज किया जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का भलीभांति अवलोकन किया गया एवं अप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, तथा वकील पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया तथा तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में आवंटी स्व. प्रभात्या जाति रैगर निवासी ग्राम धौला को ग्राम धौला, हाल तहसील जमवारामगढ के आराजी साबिक खसरा नंबर 123 में 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया जिसके हाल खसरा नंबर 247/123, 248/123, 249/123 रकबा 0.63 हैक्टेयर है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पिता स्व. प्रभात्या के नाम खातेदारी दर्ज हुयी। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि वर्तमान जमाबन्दी अनुसार बारानी अंकित है तथा आवंटी स्व. प्रभात्या को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे एवं विरासत के नामान्तकरण के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के नाम से भूमि का नामान्तकरण तस्दीक हो चुका है। वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबन्दी के अवलोकन से जाहिर है कि स्व0 प्रभात्या के वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा भूमि का बेचान किया जा चुका है एवं विक्रेता सुवालाल के हक में रजि0 विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1460 दिनांक 05.08.2025 को तस्दीक किया जा चुका है। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार सुवालाल बुनकर पुत्र मानाराम बुनकर है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रकरण में आवंटित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित भूमि नहीं है। प्रार्थी द्वारा आवंटन के लगभग 44 वर्ष बाद आवंटन को चुनौती दी गयी है एवं प्रार्थी द्वारा इतने वर्षो के विलम्ब के संबंध में कोई उपयुक्त कारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये है। 2011(1) **RRT 383** राजस्थान हाई कोर्ट में अभिलिखित है कि आवंटन के 30 वर्ष बाद आवेदन पेश किया आवेदन खारिज किया गया वर्ष 1968 में भूमि आवंटित की गयी निचले न्यायालयों ने इतने लम्बे विलम्ब के बाद शक्तियों का उपयोग करने से इन्कार किया, निर्णीत, आदेशों में त्रुटि नहीं है। **2011(2) RRT** 1205 राज. उच्च न्यायालय में अभिलिखित है कि आवंटन के 40 वर्ष बाद आवेदन पेश किया गया आवंटन निरस्त करने हेतु मामला नहीं पाया और आवेदन खारिज किया गया–निर्णीत, आदेश में अधिकारिता की त्रुटि नहीं है। **Accordgin RBJ 1995(2) Page 1080 After Conferment**

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

of khatedari Rights, Allotment cannot be cancelled. According RRT 2025 (2) Page 901:- A Trespasser over the land cannot pray for cancellation of the allotment. विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उज्र/आक्षेप उचित प्रतीत नहीं होते है। आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात भूमि का उसके वारिसान द्वारा विक्रय किये जाने के कारण तथा उपरोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत विधिक आपत्ति स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अर्न्तगत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनीता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर